7 3 5 8

दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

UPHIN51019 | वर्षः 01, अंकः 30 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 19 फरवरी, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक

बताया असंवैधानिक सर्वसम्मति से सुनाया फैसला

नई दिल्ली। योजना के अनुसार, चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित ईकाई द्वारा खरीदा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक से मांगी पूरी जानकारी

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हालांकि पीठ में दो अलग विचार रहे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

चुनावी बॉन्ड योजना के अनुसार, चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित ईकाई द्वारा खरीदा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (ए) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट पाने वाले दल के चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।

पांच–सदस्यीय संविधान पीठ ने की सुनवा

कोर्ट ने मामले में 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच–सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है योजना ?

इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके मुताबिक, चुनावी बॉण्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों। चुनावी बॉण्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।

क्यों लगी चुनावी बॉन्ड पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक, क्या दिए निर्देश

1. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को संविधान के खिलाफ करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना का अधिकार योजना का उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अब चुनावी बॉन्ड को जारी करना बंद कर दें। इसी के साथ इन्हें जारी करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से चुनावी बॉन्ड के जरिए दी गई दान राशि की जानकारी भी मांगी है।

3. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, इससे जुड़ी डिटेल्स भी देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 18 अप्रैल 2019 से अब तक जारी हुए सभी किस्त के चुनावी बॉन्ड से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है।

4. सभी राजनीतिक चंदे सरकारी नीतियों को बदलने के लिए नहीं किए जाते। कई बार छात्र, दिहाड़ी कमाने वाले भी इस में योगदान देते हैं। कुछ राजनीतिक योगदानों को सिर्फ इसलिए निजता के दायरे में न लेना, क्योंकि वह दूसरे मकसदों से किए गए हैं, यह अस्वीकार्य है।

5. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के योगदान के मुकाबले किसी कंपनी के चंदे का राजनीतिक प्रक्रिया में काफी गंभीर प्रभाव होता है। कंपनियों द्वारा इस तरह के योगदान पूर्णतः व्यापारिक लेनदेन हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति और कंपनियों के चंदे को एक जैसा मापने के लिए कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट तौर पर मनमाना है।

6. गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के मकसद से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, इसे लेकर विपक्षी दलों ने कई बार शिकायतें उठाईं।

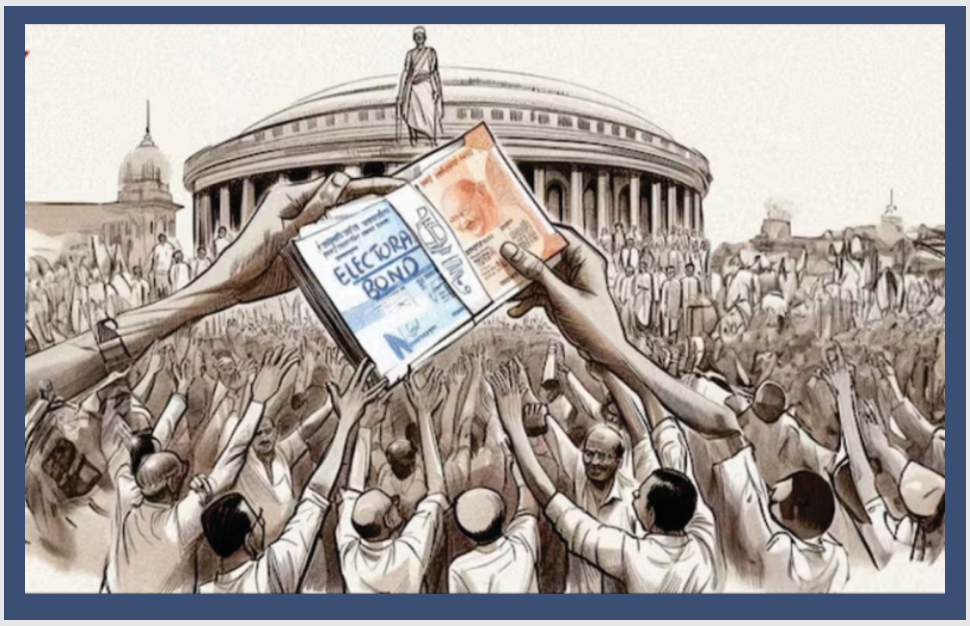

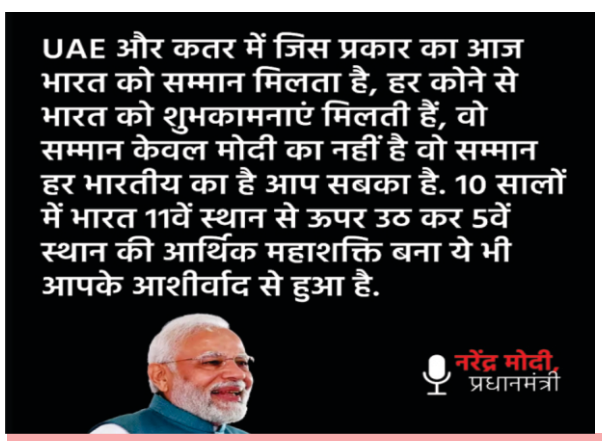

पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में लगा झटका, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

एजेंसी, अहमदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। ।।च नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ।।च नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पूनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद ।।च नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा

बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया दिया गया। दोनों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया।

सम्पादकीय

चुनावी बॉड्स पर सुप्रीम रोक : ऐतिहासिक फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाए अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जारी किये गये इलेक्टोरल चुनावी बींड्स योजना पर रोक लगा दी है

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनाए अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जारी किये गये इलेक्टोरल (चुनावी) बॉड्स योजना पर रोक लगा दी है, जो संविधानसम्मत होने के साथ जनअपेक्षाओं के अनुरूप भी है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया है कि वह 6 मार्च, 2024 तक उन सभी राजनीतिक दलों के नाम व प्राप्त राशि निर्वाचन आयोग को बतलाये जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है और इस जानकारी को आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर साझा करे। इस जानकारी से ज्ञात होगा कि किस दल ने किससे और कितनी राशि प्राप्त की है। इस तरह सूचना के अधिकार की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं चुनावी सुधार की चारों दिशाओं के क्षितिजों का स्पर्श करने वाला यह निर्णय संसदीय प्रणाली के शुद्धिकरण की राह में मील का पत्थर कहा जा सकता है।

इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने एकमत से इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने 2017 में यह योजना एक वित्त अधिनियम के रूप में लोकसभा से पारित कराई गई थी, जिसे 29 जून, 2018 को कानूनन लागू किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से कोई भी नागरिक इस बॉड को खरीदकर अपने पसंदीदा दल को चंदे के रूप में दे सकता था। इसे एक तरह से राजनीतिक दलों की गुमनाम तरीके से मदद करना भी कहा जा सकता है।

इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वोटर को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों के पास धन कहां से आ रहा है। उसने यह भी कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। सुनवाई के दौरान सरकार की दलील थी कि इससे राजनैतिक दलों की फंडिंग में काले धन का इस्तेमाल रुकेगा तथा फंडिंग साफ–सुथरी होगी। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि उसके दूसरे तरीके भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी जनता को न देने की सरकार के अटॉर्नी जनरल की यह दलील खारिज कर दी जिसमें कहा गया कि उचित प्रतिबन्धों के अधीन हुए बिना 'कुछ भी' और 'सब कुछ' जानने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इस योजना में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। इस तरह सरकार ने इसे जनता की पहुंच से दूर रखा है जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता दोनों ही संदेहों के घेरे में रही। इस योजना के नियमों के अनुसार एसबीआई की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपये, 10,000 रुपओ 1 लाख, 10 लाख और एक करोड़ रुपए तक के बॉड्स खरीदे जा सकते हैं। इसकी वैधता 15 दिनों की है जिस अवधि में जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत पंजीकृत एवं पिछले चुनाव में कम से कम 1 प्रतिशत वोट पाने वाले दलों को प्राप्त सहयोग राशि का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस बाबत कई वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटियों तथा चुनावी सुधार के पक्षधरों ने आरोप लगाया था कि इसके माध्यम से कार्पोरेट घराने, व्यवसायी एवं वे लोग जो सरकारों से अपने काम कराना चाहते हैं, ये बॉड्स खरीदकर राजनीतिक दलों से नज़दीकियां बढ़ा सकते हैं। इस बात पर इसलिये सहज विश्वास किया जा सकता है क्योंकि भाजपा सरकार की कारोबारी व उद्योग जगत से नज़दीकियां ज्ञात हैं। बाद में यह बात सही भी साबित हुई क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त हुआ– करीब 5300 करोड़ रुपये। लोग जानना चाहते हैं कि चंदा देने वाले कौन हैं और उन्होंने कितना चंदा दिया है। इन्हीं शंकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट को दो याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। एक तो थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2017) की एवं दूसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (2018) ने दाखिल की थी। इन दोनों में ही कहा गया कि इससे देशी–विदेशी चंदे की बाढ़ आ जायेगी जिसके जरिये चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जायेगा। इसे रिश्वतखोरी भी कहा गया। इस योजना के कारण भाजपा ने जो सम्पत्ति बटोरी है उसके कारण उसे चुनाव लड़ने में विरोधी दलों के मुकाबले बढ़त मिल जाती है। भाजपा को मिली उपरोक्त राशि के मुकाबले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को केवल 952 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को लगभग 768 करोड़ तथा एनसीपी को सिर्फ 63.75 करोड़ रुपए मिले हैं। सही है कि इलेक्टोरल बॉड्स योजना से कमोबेश अनेक दल लाभान्वित हुए हैं लेकिन माना जाता है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा अड़चन भाजपा को ही होगी क्योंकि यह निर्णय ऐसे वक्त पर आया है जबकि लोकसभा के चुनाव कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं। नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिये बेताब भाजपा ने इस बार खुद के लिये 370 और अपने गठबन्धन (एनडीए) के साथ मिलकर 400 पार का नारा दिया है। जाहिर है कि लगभग सभी मोर्चों पर नाकाम मोदी–भाजपा ने जब यह लक्ष्य बनाया होगा तब केवल उनकी कथित लोकप्रियता इसका आधार नहीं रही होगी। बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने के लिये भाजपा को बड़ी धन राशि चाहिये, जो उसकी प्रमुख ताकत है। जानकारी सार्वजनिक होने से उजागर हो जायेगा कि भाजपा के मददगार कौन हैं और भाजपा ने उनके चंदे के एवज में उन्हें क्या लाभ पहुंचाया है। यह भी देखना होगा कि मोदी व भाजपा इस बात के क्या उपाय करते हैं कि शीर्ष अदालत के इस फैसले को न माना जाये, जो सीधे तौर पर उसके चुनावी हितों के खिलाफ है। इसकी कोई भी कसर भाजपा छोड़ने वाली नहीं है।

चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण पर बहस फिर से शुरू करने का समय

सत्ताधारी पार्टी को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग की सुविधा देने के लिए आलोचना की गई और चुनावी बांड योजना तेजी से जांच के दायरे में आ गई है। भाजपा ने इस योजना से अधिकांश धन प्राप्त किया है, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों को कुल राशि का केवल दसवां हिस्सा ही मिला है। अनुपातहीन धन शक्ति ने सत्ताधारी पार्टी को विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ कुछ सबसे विचित्र अस्थिरता उत्पन्न करने की योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपत्तिजनक चुनावी बांड योजना के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग के कड़वे परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि देश में चुनावों के लिए राज्य फंडिंग की अवधारणा पर वापस जाने का समय आ गया है, अगर देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो, विशेषकर इसलिए क्योंकि चुनावी बांड योजना के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तोड़फोड़ हो रही है।

ऐसा करने के लिए शायद यह सबसे उपयुक्तसमय है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला करने के लिए तैयार है। यह अलग बात है कि फैसले में देरी, जिसे अदालत ने पिछले साल नवंबर में सुरक्षित रख लिया था, ने निस्संदेह लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और उत्साही लोगों को निराश किया है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय एक सार्थक हस्तक्षेप करके संशोधन कर सकता है और अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवस्था का सुझाव देकर चीजों को सही कर सकता है। ऐसा करने में, अदालत को वर्तमान याचिकाओं के दायरे से परे जाना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण देश में लोकतंत्र को संरक्षित करने में काफी मदद करेगा, जो अन्यथा खतरे में है।

सत्ताधारी पार्टी को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग की सुविधा देने के लिए आलोचना की गई और चुनावी बांड योजना तेजी से जांच के दायरे में आ गई है। भाजपा ने इस योजना से अधिकांश धन प्राप्त किया है, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों को कुल राशि का केवल दसवां हिस्सा ही मिला है। अनुपातहीन धन शक्ति ने सत्ताधारी पार्टी को विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ कुछ सबसे विचित्र अस्थिरता उत्पन्न करने की योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो वैध रूप से निर्वाचित सरकारों को हटाने और स्पष्ट दलबदल की मदद से अपने स्वयं के कठपुतली संगठनों की स्थापना में प्रकट हुई है।

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ऐसे ही भाजपा की विध्वंसक राजनीति के सबसे खराब व्यंग्यचित्र के रूप में सामने आते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की जांच करते हुए, 1998 की इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट और 1999 की भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें, दोनों चुनावों के लिए पूर्ण राज्य वित्त पोषण की वकालत करती हैं, जो इस बहस की दीर्घकालिक प्रकृति को रेखांकित करती हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने राज्य के वित्त पोषण की दो सीमाओं की सिफारिश कीः पहला, राज्य का धन केवल राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को आवंटित किया जाना चाहिए, न कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को। दूसरे, अल्पावधि में राज्य वित्त पोषण केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के समय, देश की आर्थिक स्थिति चुनावों के लिए केवल आंशिक राज्य वित्त पोषण के अनुकूल थी, न कि पूर्ण वित्तपोषण के।

अन्नदाता के प्रति क्रूरता क्यों

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट्स एंड प्राइसेस अर्थात सीएसीपी ही एमएसपी तय करता है। एमएसपी का आशय है– न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है,जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल, फसल की बुआई के दौरान ही फसल की कीमत तय कर दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा एक तरफ किसानों के प्रति उच्चस्तरीय संवेदनशीलता दिखाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के ऊपर स्वतन्त्र भारत में पहली बार ड्रोन से आंसू गैस के हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को किसानों के ऊपर एयर स्ट्राइक कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रुस–यूक्रेन युद्ध और इजराइल द्वारा गाजा पर हमलों में ड्रोन हमलों की अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई है। वास्तव में अन्नदाता के उपर ड्रोन से आंसू गैस के हमलों को मानवता के अपराध के रूप में देखा जाएगा। किसान जब चंडीगढ़ में शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस ने जगह–जगह हाईवे जाम करने शुरू कर दिए थे। बड़े–बड़े कांक्रीट के बोल्डर रखे गए। बैरिकेड और कांटों की दीवार बनाई गई। शंभू बॉर्डर पर अन्नदाता पर ड्रोन हमलों ने कई सवाल खड़े किए हैं। अपने देश में क्या कोई पुलिस या अर्द्धसैनिक बल अन्नदाता पर हवाई हमले कर सकती है? क्या निगरानी के अलावा किसी तरह के हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है? किस कानून के तहत ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता है? क्या आने वाले दिनों में हर जन आंदोलन, सरकार विरोधी प्रदर्शन को ड्रोन हमलों से गुजरना पड़ेगा? माननीय प्रधानमंत्री कहां तो ड्रोन का प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कर रहे थे ,लेकिन अंततः ड्रोन का प्रयोग अन्नदाता को कुचलने के लिए हो रहा है।

प्रदर्शनकारी किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की है। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की यह मांग काफी स्वाभाविक भी है, जब सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है, तो आखिर उनके एमएसपी पर सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश को क्यों नहीं मानती है? 2011 में गुजरात मुख्यमंत्री और एक कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि 'किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमें कानूनी प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा कि किसान और व्यापारी के बीच कोई भी लेन–देन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए।' 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कई भाषणों और चुनावी रैलियों में, मोदीजी ने वादा किया था कि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी,जो स्वामीनाथन समिति के फॉर्मूले के अनुसार सभी लागतों और 50 फीसदी मार्जिन को कवर करेगी। परन्तु आज तक न तो एमएसपी की कोई गांरटी है और न ही यह सी–2+50 फीसदी के स्वामीनाथन फॉर्मूले पर आधारित है। वहीं 13 फरवरी को राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार, एमएसपी की कानूनी गांरटी देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया एलायंस की सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अमल करेंगे।

राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद बीजेपी किसान मामलों पर और फं सती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी का समर्थन कर रहे थे, परन्तु जब सत्ता में आए तो सुप्रीम कोर्ट में ही हलफनामा देकर कहा कि– स्वामीनाथन कमिटी के अनुसार सी–2. 50फीसदी के फॉर्मूले पर एमएसपी देना संभव नहीं है।

इस सम्पूर्ण मामले को समझने के लिए सर्वप्रथम समझते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन ने किस प्रकार के एमएसपी का समर्थन किया है? भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट्स एंड प्राइसेस अर्थात सीएसीपी ही एमएसपी तय करता है। एमएसपी का आशय है– न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है,जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी।

दरअसल, फसल की बुआई के दौरान ही फसल की कीमत तय कर दी जाती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजारों में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती हैं। सरल शब्दों में कहें तो, एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार–चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ कॉमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करती है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से ही साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी का गठन किया था। पहली बार 1966–67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। सीएसीपी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है।

स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50 फीसदी ज्यादा देने की सिफारिश की थी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है– एमएसपी को सी 2+50 प्रतिशत के फार्मूले से लागू करने की। किसान आंदोलनकारी मोदी सरकार से एमएसपी पर यही फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने सी–2+ 50 का आंकड़ा बताने के लिए फसल लागत को तीन हिस्सों में बांटा था। फसल लागत के तीन हिस्सों के नाम हैं– ए 2, ए 2+ एफ एल और सी 2। ए 2 के लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद,कीटनाशक, उर्वरक से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है।

ए 2 एफ एल में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ –साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। इस तरह ए 2 + एफ एल का मतलब है–लगत + किसान परिवार की मेहनत।

जबकि, सी 2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ–साथ जमीन पर लगने वाले लीज के खर्च और ब्याज पर लिए गए रूपयों को भी शामिल किया जाता है। इस फॉर्मूले को अगर सामान्यीकृत करें, तो सी 2 का मतलब है– ए 2 + एफ एल + जमीन के लीज का खर्च और ब्याज पर लिए गए पैसों की भी लागत। स्वामीनाथन आयोग ने सी 2 की लागत में ही डेढ़ गुनी यानी 50 फीसदी और जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। इसे ही सी 2 +50 कहा जाता है।

उदाहरण के लिए गेहूं की फसल पर सी 2+50 के फॉर्मूले के अनुसार, एमएसपी दिया जाए, तो प्रति क्विंटल 350 रूपये से ज्यादा का अंतर आएगा। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, 2023–24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल पर ए 2 के अनुसार, लागत 903 रूपये थी। वहीं गेहूं की ए 2+ एफएल की लागत 1,128 रूपये है और सी 2 की लागत 1,652 रूपये लगाई गई थी। जबकि 2023–24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी 2,125 रूपये तय की गई है। स्वामीनाथन आयोग का सी 2 +50फीसदी का फॉर्मूला अपनाया जाए, तो प्रति क्विंटल गेहूं पर एमएसपी 1,652+ 826= 2,478 रूपये होती है। इस हिसाब से 2023–24 के लिए गेहूं के एमएसपी में 353 रूपये का फर्क है। अभी सीएसीपी फसलों पर जो एमएसपी तय करती है, वह ए 2 + एफ एल की लागत के हिसाब से तय करती है। इस संपूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी देने में सरकार सक्षम है। क्या सरकार गेहूं के एमएसपी में 353 रूपये की वृद्धि नहीं कर सकती है?

केंद्र सरकार वर्ष 2020 के आंकड़ों को प्रस्तुत कर एमएसपी गारंटी कानून से बचने का प्रयास कर रही है। सरकार समर्थकों का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून को क्रियान्वित करने की लागत कम से कम 10 लाख करोड़ होगी, इसलिए यथार्थ के धरातल पर यह संभव नहीं है। केंद सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में देश की कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रूपये था। इसके साथ ही 2020 में एमएसपी के दायरे में आने वाले फसलों का मूल्य 10 लाख करोड़ था। उस वर्ष सरकार ने एमएसपी पर 2.5 लाख करोड़ खर्च कर एमएसपी वाली फसलों की 25फीसदी खरीदारी की थी।

अब सरकार तर्क दे रही है कि सभी एमएसपी वाले फसलों को खरीदना होगा, तो 10 लाख करोड़ खर्च होंगे। लेकिन मेरा मूल प्रश्न है कि सरकार एमएसपी वाली सभी फसल क्यों लेगी? अभी सरकार जरूर एमएसपी पर फसल खरीदती है, लेकिन निजी कंपनियां एमएसपी पर नहीं खरीदती है। क्या निजी कंपनियों को एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए? जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, तो निजी कंपनियां भी एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य होंगीं। ऐसे में एमएसपी गारंटी पर 10 लाख करोड़ रूपये खर्च की बात पूर्णतः गलत है। अभी 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है।

बेतियाहाता से मेडिसिटी डाक्टर तब जाएंगे.. जब प्लाट छोटे और कीमत कम हो

गोरखपुर। गोरखपुर शहर के बाहर अस्पताल खुलें, जिससे लोगों को जाम से राहत मिले, यह डॉक्टर भी चाहते हैं। वे भी मानते हैं कि बेतियाहाता बेतरतीब मेडिकल हब बन गया है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से दिन भर जाम की दिक्कत रहती है। खोराबार मेडिसिटी योजना में अगर प्लॉट के साइज छोटे और कीमत में सहूलियत मिल जाए तो किसी को ऐसा करने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ डॉक्टर बेतियाहाता के जाम को बड़ी दिक्कत तो मानते हैं, मगर मेडिसिटी उन्हें दूरी की वजह से रास नहीं आता है। चिकित्सकों का यह भी कहना है कि व्यावहारिक दिक्कतों को प्रशासन को भी समझना होगा। कई डॉक्टर नए अस्पताल बनवाने की तैयारी में हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ रियायत दी जाए। अगर पहल दोनों तरफ से निश्चित ही शहर के बाहर एक नया मेडिकल हब बन सकता है।

छात्र संघ से बेतियाहाता रोड पर हास्पिटल के सामने सड़क तक खड़े वाहन –

प्लश्वट व रेट पर विचार जरूरी

हमने मेडिसिटी में प्लॉट के लिए प्रयास किया था, लेकिन प्लॉट के साइज व रेट को लेकर दिक्कत आई। वहां जो प्लॉट व रेट मिल रहा है, उससे सस्ते दर पर निजी जमीनें उपलब्ध हैं। इसलिए हमने प्रयास छोड़ दिया। सरकार को ऐसा रेट तय करना चाहिए, जो पहुंच के अनुसार हो। इसके अलावा जमीन पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर अपना अस्पताल बना सकें।– डॉ. नदीम अरशद, चेस्ट रोग विशेषज्ञ

सारे डश्वक्टर एक जगह हों तो बहुत ही अच्छा

अगर सारे डॉक्टरों के क्लीनिक व अस्पताल एक जगह हो जाएं तो यह मरीजों के लिहाज से बहुत ही अच्छा होगा। एक जगह ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। मरीजों को अलग अलग स्पेशिएलिटी के डॉक्टर्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मरीज खुद भी शहर के ट्रैफिक में फंसने से बचेंगे और दूसरों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा नजदीक होने पर अलग–अलग डॉक्टर्स एक मरीज के बारे में एक दूसरे की ओपिनियन भी आराम से ले सकेंगे।– डॉ पंखुड़ी जौहरी नेत्र रोग विशेषज्ञ

कुछ और विकल्प भी खोजने होंगे

एक ही जगह सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का विचार अच्छा है। इससे न केवल शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मरीजों व तीमारदारों को भी फायदा होगा। हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि शहर के लोगों को ही नजदीक में सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए सभी को वहां ले जाना न तो व्यावहारिक है और न ही ऐसा करना संभव। इसलिए कुछ और विकल्प भी खोजने होंगे।

बड़े अस्पताल के लिए सस्ते रेट पर जमीन मिले तो डाक्टर वहां जाएंगे

बेतियाहाता शहर का केंद्र है। यहां चारों तरफ से आना–जाना आसान है। छोटे मेडिकल स्टोर व जांच के संसाधन भी अगल–बगल हैं। इसलिए यह इलाका डॉक्टरों की क्लीनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखें तो यहां किसी बड़े अस्पताल की जरूरत के अनुसार सुविधाएं हैं। मेडिसिटी बड़े अस्पतालों के लिए उपयुक्त है। जो लोग वहां अस्पताल खोलना चाहते हैं, उन्हें सस्ते रेट पर जमीन दी जाए तो कई डॉक्टर वहां जाएंगे।– डॉ. अश्विनी मिश्रा– न्यूरो विशेषज्ञ

मेडिसिटी के आसपास वालों को राहत होगी, दूरी बनेगी दिक्कत

मेडिसिटी शहर के बाहर है। वहां एक ही जगह सारे डॉक्टरों की मौजूदगी की योजना तो अच्छी है, लेकिन उसका फायदा अगल–बगल को ही मिलेगा। गोरखनाथ और नौसड़ से मेडिसिटी दूर है। इससे उन इलाके के मरीजों को छोटी–छोटी जांच के लिए भी अनावश्यक परेशान होना पड़ेगा। इसलिए सभी को वहां ले जाने के बजाय कुछ बड़े अस्पतालों को ले जाना ज्यादा उचित होगा।–डॉ. लोकेश गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ

हर मोहल्ले में होना चाहिए प्रबंध

सारे अस्पतालों को एक जगह करने का विचार अच्छा है। मरीजों को एक ही जगह बेहतर डॉक्टर, दवा, उपकरण आदि सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होगा। एक जगह इतनी अधिक भीड़ होने से वहां भी आवागमन से लेकर अन्य समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले मरीजों को तो फायदा होगा, लेकिन शहर के अंदर रहने वाले मरीजों को वहां तक जाने में दिक्कत होगी। स्वास्थ्य ऐसी सुविधा है, जिसे एक जगह एकत्रित करने के बजाय हर मोहल्ले में इसका प्रबंध होना चाहिए।–डॉ. प्रकाश चंद्र शाही, हृदय रोग विशेषज्ञ।

खोराबार टाउनशिप के लिए अधिग्रहित जमीन के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

खोराबार टाउनशिप के लिए अधिग्रहित जमीन के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

अभियान के दौरान डा. अश्वनी अग्रवाल की चहारदीवारी, सत्यवीर यादव का सीमेंट गोदाम, अनुपम जायसवाल के पौधशाला एवं मुर्गी फार्म की चहारदीवारी समेत 15 एकड़ से अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली कराई गई। तकरीबन 2.50 एकड़ में मुर्गी फार्म की चहारदीवारी तोड़ दी गई। इस दौरान लगभग 400 वर्ग मीटर में बने मुर्गी शेड को दो दिन के अंदर खाली करने का समय दिया गया। शेड के अतिरिक्त समस्त भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी में शुक्रवार को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कड़ी सुरक्षा के बीच जंगल सीकरी उर्फ खोराबार एवं खोराबार उर्फ सूबा बाजार की अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण तोड़े गए। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रतिरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के समक्ष उनकी एक नहीं चली।

अभियान के दौरान डॉ. अश्वनी अग्रवाल की चहारदीवारी, सत्यवीर यादव का सीमेंट गोदाम, अनुपम जायसवाल के पौधशाला एवं मुर्गी फार्म की चहारदीवारी समेत 15 एकड़ से अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली कराई गई। तकरीबन 2.50 एकड़ में मुर्गी फार्म की चहारदीवारी तोड़ दी गई। इस दौरान लगभग 400 वर्ग मीटर में बने मुर्गी शेड को दो दिन के अंदर खाली करने का समय दिया गया। शेड के अतिरिक्त समस्त भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस भूमि के खाली होने से खोराबार टाउनशिप में माइवान टेक्नोलाजी से निर्मित होने वाले ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा खोराबार आवासीय टाउनशिप के लिए अधिग्रहित भूमि में लगभग 120 वर्ग मीटर भूमि पर विनोद विश्वकर्मा द्वारा कराए जा रहे पक्का मकान निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि खोराबार आवासीय योजना के लिए अधिग्रहीत भूमि से अतिक्रमण हटाने से योजना के निर्माण एवं विकास कार्यों को गति मिलेगी।

गोरखपुर में भू–माफिया का खेल

मुर्दा भी बोल रहा...मुझे बेचनी है अपनी जमीन

गोरखपुर । जिले में जमीन की जालसाजी करने वाले भू–माफिया कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदा को मुर्दा और मृत को जिंदा बना देते हैं। इनकी पैठ ऐसी कि जिंदा आदमी को खुद को जिंदा साबित करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस केस दर्ज कर ऐसे आरोपियों को जेल भी भेज दी, अब इन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। सभी बड़े जालसाजी के मामलों की विवेचना सीओ रैंक के अफसरों की देखरेख में कराई जा रही है, ताकि यह तय हो सके कि भू–माफिया के पीछे का मददगार कौन है?

जानकारी के मुताबिक, जिले में लगातार भू–माफिया पर पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी इनके कारनामे बार–बार सामने आते रहते हैं। कहीं भी ऐसी कीमती जमीन नहीं बचती जो भू–माफिया की नजरों से बच जाए। इतना ही नहीं जमीन हड़पने के लिए अगर उन्हें जोर जबरदस्ती भी करनी होती है तो वे अपने शैतानी खोपड़ी और पैठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन को पहले किसी बाहर के आदमी को दिखाया जाता है और फिर पसंद आने पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका बैनामा करा दिया जाता है। जिले में कई ऐसे भी केस आए हैं, जहां पर भू स्वामी को पता भी नहीं चला है, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर जमीन बेच दी गई। इस खेल में भू स्वामी तो परेशान होता ही है, साथ ही सबसे अधिक नुकसान जमीन खरीदने वाले का होता है।

पिता को मृत दिखाकर बेच दी जमीन

18 सितंबर 2023 को कैंट थाने में जालसाजी का केस दर्ज किया गया। रामगढ़ताल क्षेत्र के शिवपुर न्यू कॉलोनी निवासी सुक्खू ने अपने ही बेटे पर केस दर्ज कराया। बताया कि उनके छह बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे प्रदीप के संबंध भू–माफिया से है। आरोप है कि प्रदीप ने 15 जुलाई 2020 को पिता सुक्खू को कागजात में मृत घोषित कर उनकी जमीन अपने सहयोगी रवींद्र साहनी के साथ मिलकर रविंद्र की पत्नी साधना और गांव के भोला निषाद को बिना किसी अधिकार के बेच दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की।

मौसी को मृत दिखाकर बेच दी 70 लाख की जमीन

26 दिसंबर 2023 को पिपराइच पुलिस ने दो आरोपियों को जेल भेजा। उनके खिलाफ उसकी मौसी निर्मला देवी ने केस दर्ज कराया था। जंगल क्षत्रधारी के टोला शाहपुर की निर्मला को मृत दिखाकर बहन के बेटों ने उनकी जमीन बेच दी। जानकारी होने के बाद निर्मला ने पिपराइच थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी गुलरिहा जंगल अयोध्या प्रसाद के रहने वाले संतोष निषाद और सत्येन्द्र निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मृत को लजदा दर्शा कर बेच दी जमीन

चिलुआताल इलाके के रिटायर्ड शिक्षक गिरिजेश धर ने प्रार्थनापत्र में लिखा है कि वह तीन भाई हैं। बड़े भाई चंद्रमौली की मौत 2014 में हो गई। बाकायदा परिवार रजिस्टर में भी उनकी मौत दर्ज है, लेकिन बंटवारा न होने के कारण इंतखाब में भी उनका नाम दर्ज है। आरोप है कि बेलीपार व चिलुआताल के सात भू–माफिया ने मिलकर 18 अक्तूबर 2023 को उनके मृत भाई की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ाकर कूटरचित दस्तावेज बनाकर तीनों भाइयों की जमीन बैनामा करा ली।

भू–माफिया पर हुई बड़ी कार्रवाई
भू–माफिया संपत्ति जब्त
जवाहर यादव 4 अरब 50 लाख
ओमप्रकाश पांडेय 107 करोड़
भृगनाथ सिंह 8.5 करोड़
रामगोपाल यादव 1 अरब

गोरखपुर में जमीन के नाम पर तरह–तरह के जालसाजी के मामले रोज सामने आते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजवा रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर का केस दर्ज कर उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है।

सभी बड़े मामलों की विवेचना सीओ रैंक के अफसरों की देखरेख में होती है, ताकि जो भी लोग जालसाजी में शामिल हैं, सभी पर कार्रवाई की जा सके।– डॉ. गौरव ग्रोवर, एसएसपी

ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर रद्द किया; कहा- इन्हें खरीदने-भुनाने वाले दलों के नाम 13 मार्च तक सार्वजनिक करें

गुप्त चंदा वोटर्स से विश्वासघात

नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। संविधान पीठ ने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों, इसे भुनाने वालों और इससे मिली राशि को 13 मार्च तक सार्वजनिक किया जाए। दरअसल, इस योजना के तहत सियासी दलों को 1 करोड़ रुपए या इससे गुणांक में चंदा देने वालों का नाम गोपनीय रखने की छूट थी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा, यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को नहीं माना कि योजना राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और कालेधन पर अंकुश के लिए लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वह 12 अप्रैल, 2019 से अब तक बिके इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे। आयोग इसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। जिन इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया नहीं गया है, राजनीतिक दल उन्हें दानदाताओं को लौटा दें। यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस ने कहा, यह नोट पर वोट की शक्ति मजबूत करेगा। वहीं, भाजपा ने कहा कि विपक्ष मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। है। दूसरी ओर, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, इस फैसले से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल होगा। यह पिछले कुछ सालों में आया सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऐतिहासिक फैसला है।

फैसले में दो बड़े सवालों के जवाब

1. क्या ये बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है। इसलिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय होते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि चंदा कौन दे रहा है।

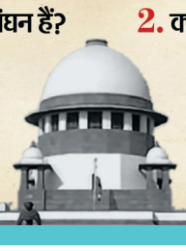

2. क्या कॉरपोरेट चंदा निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ है?

सुप्रीम कोर्ट ने माना, इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉरपोरेट चंदे की जानकारी नहीं मिलती है। इससे यह पता नहीं चलता कि क्या वे किसी खास नीति के समर्थन में चंदा दे रहे हैं। भले योजना काला धन कम करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इससे स्वतंत्र चुनावों की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाती है।

आदेश: वोटर का अधिकार गोपनीयता से अधिक अहम

लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक नहीं होता... हर वोट का मूल्य समान

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, 158 पेज के फैसले में

चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लोकतंत्र में नागरिकों को जाति-वर्ग के भेद के बिना समानता की गारंटी दी गई है। यहां हर मतदाता के वोट की एक जैसा मूल्य है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से शुरू और खत्म नहीं होता। हम खुद से पूछें कि कंपनियां भारी फंडिंग करती हैं, तो क्या निर्वाचित लोग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में कई खामियां हैं। आंकड़े बताते हैं कि 94% चंदा 1 करोड़ रु. के मूल्यवर्ग में दिया गया है। यह संपन्न वर्ग को जनता के सामने गोपनीय बनाता है, पर सियासी दलों के लिए नहीं।

गुप्त चंदा दानदाता और पार्टी के बीच 'मनी लॉन्ड्रिंग' की तरह है

जस्टिस संजीव खन्ना, 74 पेज के फैसले में

लोकतंत्र में 'मतदाता के जानने का अधिकार' दानदाता की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट दानदाताओं और सियासी फायदा पाने वालों के पारस्परिक लाभ की व्यवस्था एक तरह की 'मनी लॉन्ड्रिंग' है। गोपनीय मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है, लेकिन सियासी दलों को मिलने वाले फंड में गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता जरूरी है। जब दान देने वाला बॉन्ड खरीदने जाता है, तो उसे पूरा विवरण देना होता है और बैंक के केवाईसी मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। उसकी पहचान उस व्यक्ति और बैंक को पता चल जाती है। तब गोपनीयता कहां बचती है?

12,000 करोड़ मिला चंदा

सबसे ज्यादा 6,566 करोड़ का चंदा भाजपा को मिला

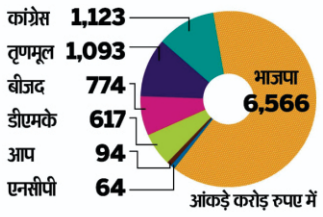

- जनवरी 2024 तक 16,518.11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके। वित्त वर्ष 2022-23 तक सियासी दलों ने 12,000 करोड़ रु. के बॉन्ड भुनाकर चंदा लिया।
- 20 प्रमुख दलों ने चंदा लिया। माकपा ने चंदा नहीं लिया और कोर्ट में चुनौती भी दी।

कोर्ट का सुझाव... राजनीतिक उद्देश्य के लिए कॉर्पोरेट चंदे की सीमा तय हो। ऐसा संभव न हो तो एक कॉर्पोरेट फंड बने। इसमें आई राशि को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में बांटा जाए।

- केंद्र सरकार 'वित्त अधिनियम 2017' के जरिये इलेक्टोरल बॉन्ड लाई थी। इसे मनी बिल के रूप में पास कराया गया। इसके लिए आरबीआई, जनप्रतिनिधित्व एक्ट और आयकर एक्ट में संशोधन किए गए थे। कोर्ट ने इनको भी रद्द कर दिया। इसे एडीआर, जया ठाकुर, माकपा सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

यूपी में छह माह हड़ताल पर पाबंदी

सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में तत्काल प्रभाव से लागू

लखनऊ। देश में हो रहे किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने छह माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यह नियम लागू होगा।

एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को ला एंड आर्डर की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को आइपीएस अमिताभ ठाकुर को प्रदेश का नया एडीजी कानून व्यवस्था नियुक्त किया गया है। वह अभी एडीजी के साथ ही एसटीएफ की भी जिम्मेदारी देखेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को आइपीएस अमिताभ ठाकुर को प्रदेश का नया एडीजी कानून व्यवस्था नियुक्त किया गया है। वह अभी एडीजी के साथ ही एसटीएफ की भी जिम्मेदारी देखेंगे। लंबे समय तक यह जिम्मेदारी वरिष्ठ आइपीएस प्रशांत कुमार संभाल रहे थे। वह अब प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं।

भाजपा को नौ और सपा को 3 वोटों का करना होगा जुगाड़

भाजपा के वोटों का गणित

भाजपा 252
अपना दल एस 13
राष्ट्रीय लोकदल 9
सुभासपा 6
निषाद पार्टी 6

287 वोटों का गणित

सुभासपा के अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं, लिहाजा एनडीए के पास कुल 285 वोट हैं।
भाजपा को लोकतान्त्रिक दल जनसत्ता के 2 वोट मिल सकते हैं।
इस तरह भाजपा के पास कुल 287 वोट का गणित हैं।

लखनऊ। भाजपा को नौ और सपा को तीन वोटों का जुगाड़ करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के आठवें प्रत्याशी ने मुकाबला रोचक बना दिया है। एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 37 वोट की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को आठवीं सीट के लिए नौ और सपा को तीसरी सीट के लिए तीन वोट का जुगाड़ करना होगा। दस सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा ने आठवां प्रत्याशी उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया है। विधानसभा में मौजूदा समय में 403 में से 399 विधायक हैं। एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 वोट की आवश्यकता है। एनडीए को आठ सीट जीतने के लिए 296 मत चाहिए, उनके पास करीब 287 मतों का इंतज़ाम है। ऐसे में भाजपा को संजय सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए नौ वोट और चाहिए।
सपा के पास 108 वोट हैं, लेकिन उनके दो विधायक जेल में बंद हैं। उन्हें मतदान की अनुमति मिलने पर संशय हैं।
सपा को तीसरा जिताने के लिए 111 वोट चाहिए। यदि कांग्रेस के 2 वोट सपा को मिलते हैं तो भी 3 अतिरिक्त वोट चाहिए।
सपा के पास 108 वोट हैं. लेकिन उनके दो विधायक जेल में बंद हैं। उन्हें मतदान की अनुमति मिलने पर संशय हैं। सपा को तीनों प्रत्याशी जिताने के लिए 111 वोट चाहिए। यदि कांग्रेस के दो वोट सपा को मिलते हैं तो भी उन्हें तीन अतिरिक्त वोट चाहिए।

जेल में बंद हैं तीन विधायक

इसमें सुभासपा के अब्बास अंसारी जेल में हैं। यदि उन्हें जेल से आकर वोट देने की अनुमति मिलती हैं तो ही वे मतदान कर सकेंगे। अब्बास को मंजूरी मिली तो जेल में बंद सपा के विधायक इरफ़ान सोलंकी और रमाकांत यादव को भी जेल से आकर वोट डालने की मंजूरी मिलेगी। ऐसे में सम्भावना जताई जा रही है कि सरकार जेल में बंद विधायकों को वोट देने की मंजूरी का विरोध करे।

बसपा की एक वोट पर सब की नजर

राज्यसभा चुनाव में बसपा की एकमात्र वोट पर सबकी नजर है। बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा ने एनडीए का समर्थन किया था। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में बसपा किसके साथ जाती है। बसपा किसी का समर्थन करती है या तटस्थ रहते हुए मतदान से दूर रहती है। हालांकि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बधाई प्रस्ताव का भी समर्थन किया था और वह एनडीए विधायकों के साथ राम मंदिर के दर्शन करने भी गए थे।

क्रास वोलटग करने पर भी सदस्यता पर नहीं पड़ेगा असर

राज्यसभा चुनाव में सभी दलों की ओर से अपने विधायकों को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। व्हिप के बाद सभी विधायकों को मतदान स्थल पर तैनात पोलिंग एजेंट को अपना मत पत्र दिखाते हुए मतदान करना होगा, लेकिन यदि किसी विधायक ने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की तो भी उसकी सदस्यता पर या मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर के केस में यह फैसला दिया है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर किसी विधायक की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता।

समागम में देश भर से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, विशेषज्ञों एवं आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन और उन्हें शुभकामनाएं!

लखनऊ में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम–2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।

चार मासूमों की मौत

किसी को आभास नहीं हुआ, हर पल मौत की ओर बढ़ते गए, कहा था– चलो...फुटबाल खेलें

लखनऊ,संवाददाता । चित्रकूट इंटर कॉलेज में पटाखों में अचानक हुए विस्फोट ने चार बच्चों ने जान ले ली, जिससे जिला प्रशासन थर्रा उठा। गुरुवार को मृतकों के शव घर पहुंचने पर परिजन रोते–बिलखते नजर आए। सभी की आंखे नम थी। लोग घटना के बाद कह रहे थे कि घटना बहुत की दर्दनाक थी। चलो यहां के मैदान में पानी भरा है तो आज सीआईसी में फुटबाल खेलने चला जाए...। रूद्रा चलो जल्दी, आंटी उसे भेज दीजिए देर हो रही है। बस यही यश, पारस व प्रभात के अंतिम वाक्य पूरे कर्वी मॉफी गांव में गूंज रहे हैं। नम आंखों से मृतकों के परिजन बस यही बताते हैं कि बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद पारस व यश एक साइकिल व प्रभात एक अलग साइकिल से गांव से निकले थे।

वहां पर उन्हें विद्यानगर निवासी मोहित साइकिल लेकर मिला। फुटबाल खेलने के पूर्व सभी ने कहा कि चलो प्रदर्शनी देखी जाए तो वह सब पन्नी से ओढाकर रखे गए पटाखों को देखने जा पहुंचे। किसी को आभास नहीं था वह हर पल मौत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ही स्थान पर चारों खड़े थे तभी हादसे में सभी शिकार हो गए फिर कभी घर नहीं लौट पाए।

आतिशबाजी स्थल चित्रकूट इंटर कॉलेज में पटाखों में अचानक हुए विस्फोट ने चार बच्चों ने जान ले ली थी। जिस पर जिला प्रशासन थर्रा उठा था। गुरुवार को मृतकों के शव घर पहुंचने पर परिजन रोते–बिलखते नजर आए। सभी की आंखे नम थी। लोग घटना के बाद कह रहे थे कि घटना बहुत की दर्दनाक थी।

तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए था परिवार

कर्वी कोतवाली के विद्यानगर निवासी पिता मुकेश वर्मा ने बताया कि बुधवार को वह अपनी पत्नी राजकुमारी व छोटे पुत्र शोभित को लेकर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डैला का पुरवा निवासी साला उमेश वर्मा के तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर पर मोहित (15) व उसका छोटा भाई रोहित घर पर अकेले थे। उन्होंने बताया कि वह रोहित को बाहर छोड़कर घर में ताला लगाकर साइकिल से सीआईसी चला गया था।

मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करता है पिता

इसके बाद यह घटना घटित हो गई। घटना के बाद उसके जेब से चाभी निकाली गई। वह दो भाई एक बहन में बड़ा था। वह कक्षा छह में चित्रकूट बाल विद्यालय में पढ़ता था। बुधवार को स्कूल की छुट्टी थी। दादी सुमित्रा देवी मां राजकुमारी का रो–रोकर हाल बेहाल है। दादी व मां ने बताया कि अगर मोहित को अपने साथ ले जाते, तो यह हादसा न होता। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करते हैं।

बनारस में दरोगा के पद पर तैनात हैं पिता

कर्वी कोतवाली अंतर्गत माफी कर्वी निवासी पिता विश्व प्रधान मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी पद में पहाड़ी ब्लॉक में तैनात हैं। वह मूल रूप से कौशांबी जिले के निवासी हैं। उनके पिता इंद्रजीत मिश्रा दरोगा पद पर बनारस में तैनात हैं। मृतक के पिता ने बताया कि यश (11) इकलौता था। बहन श्रेया व गौरी दो बहनें हैं। वह कक्षा पांच में संत थॉमस स्कूल का छात्र था।

बारिश के चलते नहल गया था यश

मोहल्ले में रघुनंदन वाटिका के पास खाली मैदान है। वह अक्सर वहीं खेलने जाया करता था। बारिश होने के चलते उस दिन वह वहां नहीं गया था। वह बुधवार की दोपहर को बिना बताए साइकिल से दोस्त पारस व प्रभात के साथ सीआईसी चला गया। जिसके चलते यह घटना हो गई। अगर वह सीआईसी न जाता तो यह हादसा न होता। मां पदमा मिश्रा का रो–रोकर हाल बेहाल है।

दो भाईयों में बड़ा था मृतक प्रभात

कर्वी कोतवाली अंतर्गत माफी कर्वी निवासी पिता धर्मेंद्र सिंह मूल रूप से राजापुर थाना क्षेत्र के बछरन निवासी है। वह कर्वी माफी स्थित नरेंद्र सिंह के मकान में दो वर्ष से किराए पर रहते हैं। वह भरतकूप में ट्रक चलवाने का कार्य करते हैं। मृतक प्रभात दो भाईयों में बड़ा था। कक्षा छह में संत थॉमस स्कूल का छात्र था। पिता ने बताया कि तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे। कहां से वह सीआईसी पहुंच गए कोई अंदाजा नहीं है। मां नीलू देवी का रो–रोकर हाल बेहाल है।

क्या पता था...अब नहीं लौटेगा

कर्वी कोतवाली अंतर्गत माफी कर्वी निवासी कंसराज शर्मा राजमिस्त्री हैं। उन्होंने बताया कि पारस कक्षा सातवीं में जीडीएनडी स्कूल में पढ़ता था। वह दो भाई एक बहन में छोटा था। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह अपने ससुर की मौत होने पर रुपौलिहा टोल राजापुर गए थे। पत्नी शिवकन्या व पुत्र पारस घर में थे। वह अपनी मां से कहकर खेलने के लिए घर से निकल गया था। क्या पता था कि उसका पारस अब नहीं लौटेगा।

बम निरोधक दस्ता पहुंचा, सभी पटाखों को अपने कब्जे में लिया

सीआईसी परिसर के घटनास्थल पर गुरुवार की शाम को बम निरोधक दस्ते की टीम लखनऊ व प्रयागराज से पहुंची। तीन घंटे तक जांच पड़ताल के बाद स्टैंडों पर लगे पटाखों को निष्क्रिय कर कई नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। उधर, दर्ज रिपोर्ट में नामजद कंपनी के जिम्मेदारों से पूछताछ की गई। विस्फोटक में केमिकल की जांच के लिए भौतिक व रसायन विषय के विशेषज्ञ शामिल रहे।

पटाखों को निष्क्रिय कर नमूने जांच के लिए भेजा

टीम के सदस्यों ने बताया कि घटना स्थल पर सभी बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसे में अब जमीन के अंदर लगाए गए पटाखों को हटा दिया गया है वहां कोई खतरा अब नहीं है। आशंका जताई गई कि जिस स्थान पर यह विस्फोट हुआ वहां सही तरीके से स्टैंड पर बम नहीं सेट किए गए थे। वहां पर हैंडपंप का चबूतरा है और बारिश में अर्थिंग की भी संभावना है। ऐसे में वहां पहुंचे बच्चों के छूने से शार्ट सर्किट हुआ होगा। इस संबध में एसपी अरूण कुमार सिंह ने कहा कि यह सब जांच का विषय है। सभी टीमें अपने स्तर से जांच कर रही हैं। जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आतिशबाजी वाली कंपनी के नामजद हर्ष कामदार व पंकज जाट से पूछताछ जारी है।

तीन डाक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम

हादसे में मोहित व प्रभात की मौत चित्रकूट में ही हो गई थी। प्रयागराज में यश व पारस की मौत हुई। मोहित व प्रभात का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के पैनल से वीडियो रिकार्डिंग कराकर कराया गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की सहमति से सीधे श्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कराया गया। प्रयागराज में पारस व यश का पोस्टमार्टम हुआ। इसमें यश का अंतिम संस्कार प्रयागराज में हुआ जबकि पारस के शव को लेकर पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे इसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया।

गर्भवती होने पर... मूक बधिर युवती की मासूमियत का उठाया फायदा, शादी का झांसा देकर की अश्लील हरकत

एक गांव की मूकबधिर युवती को शादी का झांसा देकर राहुल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। युवती के गर्भवती होने की बात पता चलते ही आरोपित ने दूसरी जगह शादी करने का इरादा बना लिया। जब युवती के गर्भवती होने की बात मां को पता चली तो उसने पूछताछ की। युवती ने इशारे से सारी बात मां को बता ।

संवाद सहयोगी, पाटन। बिहार क्षेत्र के एक गांव की मूकबधिर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व युवती के गर्भवती होने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को गांव जाकर जांच की। युवती की मां की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मेडिकल परीक्षण और कलमबंद बयान के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की बात कही है। एक गांव की मूकबधिर युवती को शादी का झांसा देकर राहुल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। युवती के गर्भवती होने की बात पता चलते ही आरोपित ने दूसरी जगह शादी करने का इरादा बना लिया। जब युवती के गर्भवती होने की बात मां को पता चली तो उसने पूछताछ की। युवती ने इशारे से सारी बात मां को बताई। मां ने बुधवार को पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रभारी निरीक्षक शिवप्रकाश पांडेय ने बताया कि गुरुवार को पुलिस ने गांव जाकर जांच की। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

बड़ी बहन डा. मीरा मौर्य दीदी और राम प्रकाश जीजू आप दोनो को शादी की 17वीं सालगिरह पर हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं

कानपुर स्थित जाजमऊ सी.ई.टी.पी. एवं एस.टी.पी. का स्थलीय निरीक्षण किया

हलाला और तीन तलाक से परेशान मुस्लिम महिला ने छोड़ा इस्लाम, ओमप्रकाश से शादी कर शाहाना बन गई शारदा।

राजधानी लखनऊ में आयोजित पांच दिवसीय 67वीं आल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में सम्मिलित हुआ।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों एवं अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करने के साथ ही मीट की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

'देश में बहु-दलीय व्यवस्था खतरे में'

बैंक खाते सीज होने पर खरगे का सड़क पर उतरने का एलान

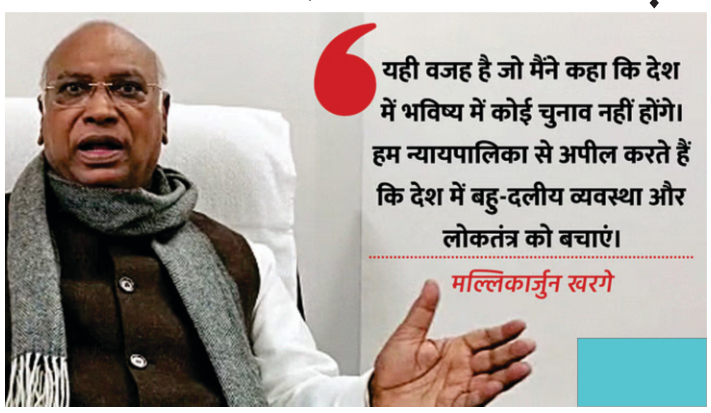

नई दिल्ली। खरगे ने लिखा कि 'ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। भाजपा ने असंवैधानिक पैसा इकट्ठा किया है और भाजपा चुनाव में उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो पैसा हमने लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया, उसे सीज कर दिया गया है!' कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज होने पर पार्टी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि देश में बहु–दलीय व्यवस्था खतरे में है और देश में बहु–दलीय व्यवस्था को बचाने के लिए न्यायपालिका को दखल देना चाहिए। खरगे ने बैंक खाते सीज होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का भी एलान किया।

'मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर'

मल्लिकार्जन खरगे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, के खातों को लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले सीज कर दिया है।'

खरगे ने लिखा कि 'ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। भाजपा ने असंवैधानिक पैसा इकट्ठा किया है और भाजपा चुनाव में उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो पैसा हमने लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया, उसे सीज कर दिया गया है!'

खरगे ने कहा कि 'कांग्रेस सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा यही वजह है कि मैंने कहा है कि देश में भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि देश में बहु–दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाया जाए।'

सरकार पर बरसे राहुल गांधी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के खातों के सीज होने पर कहा कि 'घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस ताकत और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि ये लोगों की ताकत है। हम आपकी तानाशाही से नहीं झुकेंगे। हर कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे आखिरी दम तक लड़ेगा और देश के लोकतंत्र को बचाएगा।'

अजय माकन बोले– देश में लोकतंत्र भी सीज हो गया है

शुक्रवार को कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के कई बैंक खातों को सीज कर दिया है और 210 करोड़ रुपये की रिकवरी निकाली है। अजय माकन ने आरोप लगाया कि फर्जी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आजय माकन ने आरोप लगाए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खाते सीज नहीं हुए हैं बल्कि देश में लोकतंत्र सीज हो गया है। अजय माकन ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'जब चुनाव के एलान से दो हफ्ते पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। आपको अभी भी लगता है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि देश एक दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जहां सिर्फ एक ही पार्टी की चलेगी।'

'दरवाजा तो हमेशा...

नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर बोले लालू यादव, राहुल गांधी पर कही ये बात

पटना। सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी की अब पाला बदलने की आदत सी हो गई है। हमने ऐसा नहीं सोचा नहीं था। नई सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बयान आया है। जिस तरह से मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया दी, उससे ऐसा लग रहा है कि वह नीतीश कुमार को फिर से मौका दे सकते हैं। नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी की अब पाला बदलने की आदत सी हो गई है। हमने ऐसा नहीं सोचा नहीं था। गुरुवार को नीतीश कुमार से प्रेम से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर से वह उतर रहे तो मैं चढ़ रहा था। मैंने उन्हें शुभकामना और बधाई भी दी।

दरवाजा तो खुला ही रहता है हमेशा

नीतीश कुमार को फिर मौका देने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि आयेंगे तो देखेंगे। वहीं दरवाजा खुला रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है हमेशा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है। वह प्रधानमंत्री बनेंगे।

तेजस्वी बोले– सीएम नीतीश थक चुके हैं

वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं। जब वह भाजपा छोड़कर हमारे साथ आए थे तो कहा कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। हमलोग सोचे कि शायद वह इस बार नहीं जाएंगे। इसलिए साथ रहे। लेकिन, वह फिर से पलट गए और जाकर भाजपा के साथ मिल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। यह बात जनता भी जान चुकी है।

जेल में मौत की सजा का पता टीवी चैनल से लगा, रिहाई के वक्त गार्ड बोले- पैकअप, कसूर आज तक पता नहीं

[redacted] | नई दिल्ली

कतर में गिरफ्तारी, मौत की सजा, फिर उम्रकैद और अचानक रिहाई के बाद वतन लौटे नौसेना के पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता ने भास्कर से बात की।

उन्होंने करीब 18 महीने के अनुभव साझा किए। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि किस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के बारे में जानकारी भी टीवी चैनल से मिली थी।

▪ क्या कहते हुए रिहाई की गई?

गुप्ताः कतर के सुरक्षा गार्ड ने सिर्फ एक शब्द कहा- पैकअप। इसके बाद हमारे सामान लौटाए गए। बाहर आए तो भारतीय दूतावास के अधिकारी खड़े थे। इसके बाद हमें विमान में बैठाकर रवाना किया।

▪ जब आपको पकड़ा गया था, तब क्या कहकर पकड़ा गया था?

गुप्ताः कतर के गार्ड कुछ बोलते ही नहीं थे। बस, हमें उठा लिया गया। सारी कार्रवाई तो अरबी भाषा में चली। बाद में विदेश मंत्रालय व मीडिया से सुनी-सुनाई बातों से हमें भी पता चलता रहा कि क्या हो रहा है। मुझे ठीक से याद है- वह गुरुवार का दिन था। कतर के टीवी देखते हुए पता चला कि हमें मौत की सजा दी गई है।

▪ कतर में हिरासत के दौरान किसी प्रकार की यातना तो नहीं दी गई?

गुप्ताः बिलकुल नहीं। हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ। पहले कुछ महीने बहुत कष्टदायक इसलिए थे कि हमें अलग-अलग कमरों में अकेले रखा गया था। लेकिन, करीब पिछले 6 महीने से हम दो-दो लोग एक कमरे में रहे।

▪ जेल में दिन कैसे बीते?

गुप्ताः वह जेल नहीं थी। हमारे लिए किसी परिसर में कमरे बुक थे। किताबें पढ़ना और शाम को आधा घंटे टहलने तक की छूट थी। बाद में घर वालों को मिलने की छूट दी गई। हफ्ते में तीन बार हमें फोन करने की सुविधा दी गई थी।

▪ क्या कहकर छोड़ा गया?

गुप्ताः बस यही कहा- पैकअप करो। हमने कर लिया। बाहर लाए। हमें दूतावास के लोगों के हवाले कर दिया। आज तक नहीं पता क्यों पकड़ा गया, क्यों छोड़ दिया।

▪ कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने भी कुछ भूमिका निभाई, हालांकि वह खंडन कर चुके हैं?

कमांडरः हमें नहीं पता। हमें तो अगर कुछ पता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का पता है।

स्पाट

हुईं ईशा मालवीय

लोगों ने सोशल मीडिया पर ईशा मालवीय को बुलाया 'भाभी'
अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं ईशा मालवीय

लोगों ने बुलाया 'भाभी', समर्थ–अभिषेक को छोड़ इस स्टार के साथ स्पाट हुईं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 17 भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इस सीजन के कंटेस्टेंट अपनी बाहरी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसको डेट कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बनी रहती है। सलमान खान के शो में मुनव्वर फारुकी और रनर अप अभिषेक के अलावा कोई कंटेस्टेंट अपनी लव लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है, तो वह हैं ईशा मालवीय। पहले दिन से ही ईशा ने समर्थ जुरेल–अभिषेक कुमार के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

बाहर आने के बाद भी ईशा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। अब हाल ही में एक इवेंट में पहुंची ईशा मालवीय को लोग 'भाभी' कहते हुए नजर आए। हालांकि, इस बार एक्ट्रेस का नाम अभिषेक कुमार या समर्थ जुरेल के साथ नहीं, बल्कि इस फेमस स्टार के साथ जोड़ा जा रहा है।

इस एक्स बिग बास कंटेस्टेंट के साथ जुड़ा ईशा मालवीय का नाम

ईशा मालवीय हाल ही में मुंबई में एक इवेंट को अटेंड करने पहुंची थीं। इस दौरान उड़ारिया एक्ट्रेस ऑरेंज रंग की फिश कट ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं। इस इवेंट को ईशा के अलावा डोंगरी के किंग और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारुकी ने भी अटेंड किया था। रेड कार्पेट पर पोज देने के बाद दोनों ने इवेंट में मुलाकात की।

इंस्टाग्राम पेज बिग बॉस 17 खबरी ने अपने पेज पर जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही ईशा और मुनव्वर की वीडियो को देखकर लोगों ने एक्ट्रेस को 'भाभी' कहना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों ही समर्थ जुरेल ने एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने और ईशा मालवीय के ब्रेकअप की हिंट दी थी।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

ईशा मालवीय और मुनव्वर फारुकी के वीडियो को देखकर और एक्ट्रेस को 'भाभी' बुलाने पर फैंस सोशल मीडिया पर अपमनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "ईशा को लगता है मुनव्वर का फैन बेस पता लग गया है। मुन्ना मनारा चोपड़ा के अलावा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ईशा अब मुनव्वर को इंस्टाग्राम पर पक्का फॉलो करेगी"। अन्य यूजर ने लिखा, "भाई आप लोग किसी को भी भाभी बोलो चलेगा, लेकिन प्लीज ईशा का नाम मुनव्वर के साथ मत जोड़ो"। आपको बता दें कि बिग बॉस 17 में ईशा खान ने मुनव्वर फारुकी के कैरेक्टर को लेकर काफी गॉसिप की थी।

फ्लैशबैक फ्राइडे

सिर्फ एक्ट्रेस या खजाना?

दिल्ली। म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां अलग–अलग महत्व की चीजों का संग्रह होता है. सवाल और जवाब सुनकर समझ नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही है? और म्यूजियम को स्टोरी के इंट्रो में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में आगे तब्बू की बात करने वाले हैं और तब्बू को सिर्फ एक्ट्रेस बोलना नाइंसाफी होगी. इसलिए, हमने तब्बू के लिए इस खास शब्द म्यूजियम का इस्तेमाल किया है. तब्बू वो हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, मराठी और बंगाली फिल्मों में काम किया.

हम उन्हें सिर्फ इसलिए म्यूजियम नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने अलग–अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया. वो तो और भी दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने भी किया है. म्यूजियम इसलिए क्योंकि वो एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मेनस्ट्रीम और ऑफबीट, दोनों तरह के सिनेमा में सफलता को चखा है. न सिर्फ चखा है, बल्कि बढ़िया से स्वाद लेकर खाया है.

इत्तेफाक नही मेहनत से बनी तब्बू

तब्बू को फिल्मों में आना नहीं था और ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था. ये सिर्फ एक संयोग था. ऐसा उन्होंने द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में बोला था. तब्बू ने फिल्म 'बाजार' (1982) में एक छोटे से रोल से शुरुआत की थी. इसके बाद 1984 में आई देवानंद की फिल्म 'हम नौजवान' में दिखने के बाद तब्बू 1991 में आई तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' में दिखीं. तब्बू को पहली सफलता मिली अजय देवगन के साथ आई 1994 की 'विजयपथ' से. अब तब्बू पूरी तरह से मेनस्ट्रीम का बड़ा चेहरा बन चुकी थीं.

तब्बू सिर्फ मेनस्ट्रीम सिनेमा से बंधकर रहने वाली नही रही

तब्बू ने विजयपथ के बाद 'जीत', 'साजन चले ससुराल', 'बॉर्डर', 'बीवी नंबर 1' और 'हम साथ–साथ हैं' जैसा वो सिनेमा किया जिसके दर्शक हमेशा से ज्यादा रहे हैं. यानी मेनस्ट्रीम सिनेमा, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से परहेज भी नहीं किया. उन्होंने ऑफबीट फिल्मों में भी हाथ आजमाया, जैसे 1996 में आई 'माचिस', 1997 में आई 'विरासत' और 1998 में आई 'चाची 420'. ये वो फिल्में रहीं जिनमें तब्बू की एक्टिंग स्किल निखर के सामने आई. 2001 में आई 'चांदनी बार' में उनकी मेथड एक्टिंग देखने को मिली.

रिस्क लेना जैसे काम ही रहा हो तब्बू का

तब्बू ने साल 2000 में एक फिल्म 'अस्तित्व' की. ये फिल्म उस दौर में आई थी जब किसी एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल को हामी भरना मुश्किल हो सकता था. इस फिल्म में वो यौन रूप से निराश पत्नी की भूमिका में नजर आईं, जिसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए 'बेवफाई' से भी परहेज नहीं था. फिल्म में उनका किरदार अपनी इस हरकत के लिए माफी भी नहीं मांगता, बल्कि वो सवाल पूछता है कि पुरुष और महिला के लिए शादी के नियम अलग–अलग क्यों हैं. वो पूछता है कि सुख सिर्फ पुरुष को औरत के हक में सिर्फ ड्यूटी ही क्यों आती है. वो एक खुशहाल शादी के बारे में सवाल करती है.

तब्बू ने जब ये फिल्म की थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो एक मेनस्ट्रीम एक्टर के तौर पर अपनी पहचान खो सकती हैं. लेकिन हुआ इसका उल्टा, उन्हें ठीक से पहचानने वालों की संख्या बढ़ने लगी. और वो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में देती रहीं. तब्बू ही वो एक्ट्रेस हैं जो 'चीनी कम' जैसी फिल्म के लिए हां सकती थीं. फिल्म में वो अपने से दोगुनी उम्र के बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं.

हालांकि, 2007 में आई इस फिल्म को हिट का तमगा नहीं मिला, लेकिन ये फिल्म उनके रिस्क लेने की काबिलियत को जरूर दर्शाती है।

रश्मि देसाई से लेकर श्वेता तिवारी तक

खुद जाहिर कर चुकी हैं 'दर्द'

किसी बुरे सपने से कम नहीं है इन टीवी एक्ट्रेस की लव स्टोरी

दिल्ली। जब प्यार किया तो डरना किया...' यह गाना हम सभी ने सुना है. मगर सच बात तो यह है कि प्यार करते वक्त थोड़ा–थोड़ा डर तो सभी को लगता है. अब आप टीवी एक्ट्रेस की लव स्टोरी को ही देख लिजिए. कुछ अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, तो कुछ को पार्टनर ने धोखा भी दिया. बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई का किस्सा तो आपको याद ही होगा. ऐसे ही ढेर सारी एक्ट्रेस हैं, जो सामने आकर अपनी अनहैप्पी लव लाइफ के बारे में बता चुकी हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

रश्मि देसा

'उतरन' जैसे ढेर सारे हिट शो का रश्मि देसाई हिस्सा रह चुकी हैं. एक्ट्रेस ने साल 2011 में नंदीश संधू के साथ शादी की थी. दोनों ने एक साथ काम भी किया था. मगर शादी के कुछ समय बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. रश्मि ने नंदीश पर चीट करने का आरोप भी लगाया था. इसके बाद एक्ट्रेस अरहान खान के साथ रिलेशनशिप में आईं. मगर ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल पाया.

श्वेता तिवारी

श्वेता तिवारी ने इंडस्ट्री में बहुत खास पहचान बनाई. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में राजा चौधरी के साथ शादी की थी. शादी के 9 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था. साल 2013 में उन्होंने अभिनव कोहली के साथ शादी की. मगर दोनों कुछ समय बाद ही अलग हो गए. अभिनेत्री ने अभिनव पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. अब वो सिंगल लाइफ जी रही हैं.

दलजीत कौर

दलजीत कौर अपनी लव लाइफ को लेकर इन दिनों भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. दलजीत और शालीन भनोट का रिश्ता कुछ साल में टूट गया था. इसके बाद एक्ट्रेस निखिल के साथ शादी के बंधन में बंधी. कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों का जल्द ही तलाक हो सकता है. निखिल ने एक्ट्रेस से साथ सारी फोटोज इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी है.

चारू असोपा

चारू असोपा और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के रिश्ते में भी जमकर लाइमलाइट लूटी. राजीव ने खुद अपने तलाक की पुष्टि की थी. चारू ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया था कि वो तलाक से पहले काफी परेशान थीं और एंग्जाइटी जैसे समस्या से जूझ रही थीं.

राखी सावंत

राखी सावंत की लाइफ हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का बिंदु रही है. पर राखी ने कुछ समय पहले हर जिंदगी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों के घिरी हुई रही है. राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे।

आलिया भट्ट 'पोचर' वेब सीरीज के ट्रेलर लान्च इवेंट पर नजर आईं। इस मौके पर आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ स्पाट हुईं।

टेस्ट में अश्विन के 500 विकेट

सबसे कम टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज

खिलाड़ी	देश	टेस्ट
मुथैया मुरलीधरन	श्रीलंका	87
रविचंद्रन अश्विन	भारत	98
अनिल कुंबले	भारत	105
शेन वॉर्न	ऑस्ट्रेलिया	108
ग्लेन मैक्ग्रा	ऑस्ट्रेलिया	110

रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट में 500 विकेट पूरे

यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क। अश्विन से पहले आठ गेंदबाज टेस्ट में 500 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस मामले में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन शीर्ष पर हैं। उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिए हैं।

भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे हो गए। उन्होंने शुक्रवार (16 फरवरी) को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में जैक क्रॉली को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

अश्विन से पहले आठ गेंदबाज टेस्ट में 500 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस मामले में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन शीर्ष पर हैं। उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिए हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुंबले हैं। उनके नाम 132 टेस्ट में 619 विकेट हैं।

टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

खिलाड़ी देश मैच विकेट
मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका 133 800
शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया 145 708
जेम्स एंडरसन इंग्लैंड 185 696′
अनिल कुंबले भारत 132 619
स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड 167 604
ग्लेन मैक्ग्राऑस्ट्रेलिया 124 563
कर्टने वॉल्श वेस्टइंडीज 132 519
नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया 127 517
रविचंद्रन अश्विन भारत 9 8
500कुंबले से इस मामले में आगे निकले अश्विन

अश्विन सबसे कम टेस्ट मैचों में 500

विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने अनिल कुंबले, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया। अश्विन ने 98वें टेस्ट में 500वां विकेट लिया। कुंबले ने 105, वॉर्न ने 108 और मैक्ग्रा ने 110 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। इस मामले में शीर्ष पर मुरलीधरन हैं। उन्होंने 87 टेस्ट मैचों में ही 500 विकेट ले लिए थे।

सबसे कम गेंदों पर 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

अश्विन सबसे कम गेंदों पर 500 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 25714 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की। मैक्ग्रा उनसे आगे हैं। उन्होंने सबसे कम 25528 गेंदों पर 500 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन ने 28150 और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 28430 गेंदों पर 500 विकेट लिए।

पिछली चार पारियों में विलियम्सन की तीसरी सेंचुरी

कमाल के केन

सात टेस्ट, सात शतक

खिलाफ	पहली पारी (रन)	दूसरी पारी (रन)
इंग्लैंड	4	132
श्रीलंका	1	121*
श्रीलंका	215	---
बांग्लादेश	104	11
बांग्लादेश	13	11
दक्षिण अफ्रीका	118	109
दक्षिण अफ्रीका	43	133*

टेस्ट में सबसे तेज 32 शतक

केन विलियमसन – 172 पारियां
स्टीव स्मिथ – 174 पारियां
रिकी पोंटिंग – 176 पारियां
सचिन तेंदुलकर – 179 पारियां
यूनिस खान– 183 पारियां

स्पोर्ट्स डेस्क विलियम्सन ने इस सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में 118 रन और दूसरी पारी में 109 रन बनाए थे। वहीं, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 43 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरी पारी में नाबाद 133 रन बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान और मौजूदा समय के फैब–4 में से एक केन विलियम्सन का शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने शुक्रवार को न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर दूसरे टेस्ट में जीत में अहम भूमिका निभाई। 267 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम के लिए विलियम्सन ने 133 रन की नाबाद पारी खेली। यह पिछली चार टेस्ट पारियों में उनका तीसरा शतक रहा। वहीं, यह उनके टेस्ट करियर का 32वां शतक रहा। वह न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि ओवरऑल 11वें नंबर पर हैं। विलियम्सन ने इस सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में 118 रन और दूसरी पारी में 109 रन बनाए थे। वहीं, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 43 रन बनाकर आउट हुए थे। विलियम्सन ने अब तक 98 टेस्ट की 172 पारियों में 55.91 की औसत से 8666 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। इसी के साथ विलियम्सन ने स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 33 साल के विलियम्सन टेस्ट में सबसे तेज 32 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने भी 32 शतक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा 174 पारियों में किया था। रिकी पोंटिंग ने 176 पारियों में 32 शतक लगाए थे और वह तीसरे नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 32वां शतक 179वीं पारी में लगाया था।

इसी के साथ विलियम्सन ने टेस्ट मैच की चौथी पारी में सबसे ज्यादा पांच शतक लगाने के पाकिस्तान के यूनिस खान के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से चार बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ, भारत के सुनील गावस्कर, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और वेस्टइंडीज के रामनरेश सरवन ने टेस्ट मैच की चौथी पारी में चार–चार शतक लगाए हैं। शुक्रवार को विलियम्सन की संेचुरी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में उनका छठा शतक रहा। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैचों में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा शतक के जैक कैलिस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कैलिस ने कीवियों के खिलाफ छह शतक लगाए थे।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

आनंद महिंद्रा ने दिखाई दरियादिली

राजकोट में डेब्यू करने वाले सरफराज खान के पिता को देंगे यह गाड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क। सरफराज की मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनकी लगन की तारीफ सभी कर रहे हैं। इस लिस्ट में देश के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल हो गए। उन्होंने सरफराज के पिता को एक गाड़ी गिफ्ट में देने का एलान किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में मुंबई के सरफराज खान ने डेब्यू किया। उन्होंने राजकोट में अपनी पहली पारी में 62 रन बनाए। 26 साल के सरफराज ने 2013 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण कर लिया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने में उन्हें 10 से ज्यादा साल लग गए। राजकोट टेस्ट के पहले दिन पूरी तरह सरफराज ही छाए रहे। भले ही रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली, लेकिन सरफराज के अर्धशतक ने महफिल लूट ली।

सरफराज की मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनकी लगन की तारीफ सभी कर रहे हैं। इस लिस्ट में देश के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल हो गए। उन्होंने सरफराज के पिता को एक गाड़ी गिफ्ट में देने का एलान किया है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) सरफराज की जमकर तारीफ की और लिखा उनके लिए खास संदेश भी लिखा।

आनंद महिद्रा ने क्या लिखा ?

आनंद महिंद्र ने लिखा, ''हिम्मत नहीं छोड़ना बस। कड़ी मेहनत, हिम्मत और धैर्य। एक पिता के लिए एक बच्चे में प्रेरणा देने के लिए इससे बेहतर गुण और क्या हो सकते हैं? एक प्रेरणादायक माता–पिता होने के नाते यह मेरा सौभाग्य और सम्मान होगा अगर नौशाद खान थार का उपहार स्वीकार करेंगे।''

सरफराज ने खेली शानदार पारी

तीसरे सत्र में रोहित शर्मा के आउट होने के सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए। शुरू की कुछ गेंदों पर वह नर्वस नजर आए। जब उनके बल्ले से कुछ रन निकल गए तो उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को ताबड़तोड़ आक्रमण शुरू कर दिया। उनकी तेज बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वह क्रीज पर उतरे थे तो जडेजा ने 84 रन बना लिए थे और जब सरफराज पवेलियन लौटे तब जडेजा के नाम 99 रन थे। सरफराज ने अपना अर्धशतक 48 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। वह दुर्भाग्यशाली रहे कि शतक नहीं लगा पाए। सरफराज 62 रन बनाकर रन आउट हो गए।